इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 14 | अंक संख्या 12 | जुलाई, 2022 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन:

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---------- 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 3
विनियामक के कथन---------- 3
आर्थिक संवेष्टन ---------- 5
नयी नियुक्तियाँ---------- 5
विदेशी मुद्रा---------- 6
शब्दावली---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी --------- 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां---------- 7
संस्थान समाचार ---------- 7
नयी पहलकदमी ---------- 8
बाजार की खबरें ---------- 8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जारी किए जाने से संबंधित प्रावधान 1 अक्तूबर तक बढाए गए

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्डों के संबंध में कुछेक मुख्य/मास्टर निर्देशों के कार्यान्वयन को तीन माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य/मास्टर निर्देशों के अनुसार नकारात्मक/ऋणात्मक परिशोधन को रोकने लिए क्रेडिट कार्ड की देय राशियों (न्यूनतम देय राशि सहित) के भुगतान सुस्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, ब्याज प्रभारित करने/चक्रवृद्धिकृत करने हेतु अदत्त प्रभारों/वसूलियों/करों को पूंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रावधान, जिन्हें 1 जुलाई, 2022 से कार्यान्वित किया जाना था, अब 1 अक्तूबर, 2022 से प्रभावी किए जाएंगे।

कार्ड टोकनीकरण की अंतिम समय-सीमा 30 सितंबर तक बढाई गई

कार्ड आन फाइल (COF) के आधार पर लेनदेन संसाधन को विविध श्रेणियों वाले व्यापारियों के बीच पर्याप्त संकर्षण प्राप्त होने में विद्यमान अंतराल की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने टोकनीकरण की अंतिम समय-सीमा को 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया है। टोकनीकरण से संबन्धित अधिदेशों के अनुसार (कार्ड जारीकर्ता/कार्ड नेटवर्क को छोडकर) कार्ड लेनदेन अथवा भुगतान शृंखला से जुडी कोई भी संस्था/कंपनी ग्राहक के कार्ड आन फाइल आंकड़ों को भंडारित नहीं कर सकती। इसके पूर्व भंडारित किए गए इसप्रकार के सभी आंकड़ों को परिष्कृत/शुद्ध (purge) करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यह चाहता है कि हितधारक इस विस्तारित समय-सीमा का उपयोग अपने आपको टोकनीकृत लेनदेनों को सम्पन्न करने और उसके साथ ही लेनदेन के पश्चात वाले अस्थायी स्वरूप (guest-checkout) के ऐसे कार्यकलापों को सांपादित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थायें कार्यान्वित करने के लिए तैयार करें जिनमें वर्तमान मे कार्ड आन फाइल आंकड़ों को भंडारित करना होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी कंपनियों/संस्थाओं को मूलभूत सुविधा ऋणों से संबन्धित मानदंडों के गैर-अनुपालन के लिए बैंकों को निर्देश

सरकार द्वारा स्वाधिकृत कंपनियों को मूलभूत सुविधा/आवासीय परियोजनाओं के लिए दी गई निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखने मे अनुपालन के अभाव को ध्यान में रखते हुये भारत्तीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उचित विवेकसम्मत मानदंडों का पालन करने तथा उसके अधिदेशों यथा- वाणिज्यिक व्यवहार्यता, राजस्व धाराओं और निधियों के अंतिम उपयोग का मूल्यांकन करने- को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करने के निदेश दिये हैं। वह बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वे परियोजनाओं की व्यवहार्यता एवं बैंक योग्यता के बारे में यथोचित मूल्यांकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ऋण-शोधन दायित्व को पूरा करने के लिए (बजटीय स्रोतों के अतिरिक्त) पर्याप्त राजस्व विद्यमान हो। बैंकों को उनकी कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने और अनुपालन की स्थिति के संबंध में अपने बोर्ड को तीन माह के भीतर अनुदेशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान विजन 2025 से डिजिटल भुगतानों की संख्या तीन गुणी करने हेतु 4 ई का सूत्रपात

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सर्वत्र, सर्वदा, ई-भुगतान (E payments for Everyone, Everywhere, Everytime) की मुख्य विषय-वस्तु के साथ अपना "भुगतान विजन 2025" दस्तावेज़ जारी कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक प्रयोक्ता को वहनीय, सरलता से अभिगम्य, सुरक्षित, निरापद, त्वरित एवं सुविधाजनक ई-भुगतान विकल्प उपलब्ध कराना है। इस दस्तावेज़ का ध्येय डेबिट कार्डों के उपयोग में वृद्धि के साथ ही प्रचलन के अधीन नकदी में कमी लाने सहित डिजिटल भुगतानों की संख्या में तीन गुणा उछाल लाना है। यह दस्तावेज़ उभरते भौगोलिक-राजनीतिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुये घरेलू भुगतान प्रणाली की घेराबंदी (ring-fencing) पर भी प्रकाश डालता है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लघु, मध्यम उद्यमों, अचल संपत्ति, आवास को अग्रिमों पर प्रावधानीकरण हेतु नियम प्राप्त

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए बैंकों की भांति ही विनियामक मानदंड निर्धारित करने की दिशा में एक कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्चतर विनियामक परत वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से टीजर दरों पर दिये गए ऋणों सहित लघु और

मध्यम उद्यम, स्थावर सम्पदा एवं आवास ऋणों जैसी आस्तियों की विविध श्रेणियों के रूप में मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान करने के लिए कहा है। वैयक्तिक आवास ऋणों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋणों पर 0.25% का प्रावधान लागू होगा। आवास ऋण की टीजर दर, वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा- निवासीय आवास (CRE-RH) तथा मध्यम आकार वाले उद्यमों को ऋणों और उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में न शामिल अग्रिमों पर क्रमश: 2%, 0.75% तथा 0.40% का प्रावधान लागू होगा। अनुमत व्युत्पन्नी (derivative) लेनदेनों के कारण वर्तमान ऋण एक्सपोजर पर मानक श्रेणी में ऋण आस्ति को यथा प्रवृत्त प्रावधानीकरण आवश्यकता लागू होगी।

कार्डों द्वारा आवर्ती भुगतानों के लिए ई-अधिदेश बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट/डेबिट कार्डों द्वारा किए जाने वाले आवर्ती भुगतानों (यथा- अभिदानों, बीमा प्रीमियमों) के लिए ई-अधिदेश की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। अपेक्षाकृत बड़े मूल्य के आवर्ती भुगतानों को सुगम बनाने हेतु घरेलू भुगतानों के पक्ष में 62.5 मिलियन से अधिक तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के पक्ष में 3,400 से अधिक व्यापारियों द्वारा अधिदेश पंजीकृत कराये गए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक्सपोजर सीमाएं संशोधित कीं

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए विवेकसम्मत उधारदाई मानदंड संशोधित कर दिये गए हैं। संलग्न उधारकर्ताओं के एक समूह के प्रति शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमाएं पूर्ववर्ती 40% से घटाकर उनकी टियर-1 पूंजी की 25% कर दी गई हैं। आवासीय, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा ऋणों के प्रति एक्सपोजर उनकी कुल आस्तियों के 10% तक सीमित है।

अन्य मानदंडों में शहरी सहकारी बैंक मोचन-निषेध (foreclosure) प्रभार अथवा अस्थिर ब्याज दर वाले गृह ऋणों पर समय-पूर्व भुगतान जुरमना नहीं प्रभारित कर सकते। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी आवास ऋण अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के भीतर देय/चुकौतीयोग्य होने चाहिए।

इसके भी अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने आवासीय क्षेत्र को सहकारी बैंकों से ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को निवासीय आवास परियोजनाओं के लिए ऋण जारी करने की अनुमति दे दी है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बाह्यश्रोतीकरण से ग्राहकों के प्रति उनके दायित्व हरगिज बाधित नहीं होने चाहिए : भारतीय रिजर्व बैंक

अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं की अन्य पक्षों से आउटसोर्सिंग कराने वाले/वाली बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसी व्यवस्थाएं ग्राहकों के प्रति उनके दायित्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें। जबकि इसप्रकार की आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं शीर्ष बैंक के अनुमोदन के बिना की जा सकती हैं, तथापि वे आवधिक निरीक्षण के अधीन होंगी, क्योंकि उनसे वित्तीय संस्थायें कुछेक जोखिमों के प्रति अनारक्षित हो सकती हैं।

अतएव भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की सुरक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ परिनियोजित किए जाने हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश विशेष रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs), स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LABs), लघु वित्त बैंकों (SFBs), भुगतान (Payment) बैंकों, कुछेक सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ऋण आसूचना कंपनियों तथा सरकार द्वारा स्वाधिकृत अन्य वित्तीय संस्थाओं पर लागू होंगे।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि लघु वित्त बैंक वहनीय व्यवसाय माडेल, अभिशासन पर ध्यान केन्द्रित करें

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरगण श्री एम॰ के॰ जैन और श्री एम॰ राजेश्वर राव ने पर्यवेक्षण एवं विनियमन के कार्यपालक निदेशक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशकों (MDs) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEOs) के साथ विचार-विमर्श किया। अन्य बातों के साथ उन्होंने लघु वित्त बैंकों से वहनीय संवृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने तथा व्यवसाय माडेल एवं आभिशासन को महत्व प्रदान करने के लिए कहा। व्यवहार्य पोर्टफोलियो मिश्र सहित आस्ति की गुणवत्ता के प्रति चिंताओं और सूचना प्रौद्योगिकी की तदनुरूपी आघात-सहनीयता (resilience) के साथ ग्राहक सेवा एवं परिवाद निवारण ढांचे पर भी चर्चा की गई।

चालू खाते का घाटा वहनीय स्तर पर रहेगा : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास इस बात के प्रति आशावान हैं कि चालू खाते का घाटा (CAD) एक वहनीय स्तर पर रहेगा तथा सामान्य प्रवाहों से भारतीय रिजर्व बैंक को उसका वित्तीयन करने में सहायाता प्राप्त होगी। मुख्यत: उच्चतर व्यापार घाटे के कारण वित्त वर्ष 2021-22 की 3री तिमाही में भारत का चालू खाते का घाटा बढ़कर 23 बिलियन अमरीकी डालर अर्थात सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.7% हो गया। निर्यात एवं आयात में वृद्धि का उल्लेख करते हुये श्री दास ने कहा कि उच्चतर निर्यात एक अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत देता है और यह भी कि उच्चतर आयात अच्छा लक्षण माना जाता है, क्योंकि वे पूंजीगत व्यय और निवेश आने का संकेत देते हैं। वह इस बात के प्रति भी आशान्वित हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था भौगोलिक-राजनीतिक स्थितियों से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु अच्छी तरह तैयार है। "जैसा कि वर्धित सक्षमता के उपयोग से पता चलता है पुनरुत्थान को संकर्षण (traction) मिल रहा है। बैंक के ऋण संवितरण में भी तेजी आ रही है। ग्रामीण और शहरी माँगों से और अधिक सुधार के संकेत प्राप्त हो रहे हैं।" उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुये कि भारतीय रुपया उसके उभरते बाजार के समकक्षों की तुलना में बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहा है यह भी कहा कि कुल मिलाकर स्थूल आर्थिक संख्यायें व्यापक रूप से ठीक लग रही हैं।

"वित्तीय क्षेत्र के मुख्य कार्यों में रूपान्तरण हो रहा है" : एफई माडर्न बीएफ़एसआई सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

एफई माडर्न बीएफ़एसआई सम्मेलन में अपने उदघाटन भाषण में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव, विद्यमान भौगोलिक-राजनीतिक संकट और सर्वथा व्यापक प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों जैसी पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थीकरण प्रक्रियाओं को चुनौती दे रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के मुख्य कार्य यथा मध्यस्थीकरण, आस्ति मूल्य अन्वेषण, जोखिम अंतरण और भुगतान प्रौद्योगिकीय उन्नति द्वारा प्रेरित वैश्विक रूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसप्रकार वे बैंकिंग आदर्श में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहे हैं। बैंकिंग का व्यवसाय सूचना प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों, मोबाइल एवं इन्टरनेट संयोजकता, बाजार-आधारित वित्तीय मध्यस्थीकरण और फिंटेक के आविर्भाव के कारण पारंपरिक शाखा बैंकिंग से परिवर्तित होकर डिजिटल बैंकिंग का रूप ले रहा है। देश में ही विकसित एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) और आधार-समर्थित भुगतान सेवाओं ने खुदरा भुगतान प्रणाली को रूपांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र की उभरती गतिशीलताओं को ध्यान में रखते हुये अपने विनियामक एवं पर्यवेक्षी उपायों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जारी रखेगा।

व्यवसायों को आक्रामक, थोड़े समय में ही पुरस्कार की चाह वाली संस्कृति से बचना चाहिए : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

भारतीय व्यवसाय: भूत, वर्तमान और भविष्य पर व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह चेतावनी दी है कि "व्यवसायों को तुलनपत्रों में जोखिमों के अतिशय जमावड़े पर ध्यान दिये बिना आक्रामक, थोड़े समय में ही पुरस्कार की चाह वाली संस्कृति से बचना चाहिए।" अवास्तविक रणनीतिक मान्यताओं का परिणाम ऐसे घटिया रणनीतिक निर्णयों के रूप में आ सकता है जिनसे व्यवसाय माडेल की व्यवहार्यता खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने व्यवसाय की सफलता के लिए कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस सिद्धान्त के अनुरूप ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि उसकी विनियमित संस्थाएं अपने वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण प्रकटन करें।

सुदृढ़ सूचना उपद्रव/विक्षोभ के समय अभेद्य सुरक्षा दुर्ग सिद्ध होती है : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने केंद्रीय बैंकों के लिए वैश्विक महामारी जैसे उपद्रव/विक्षोभ वाले समयों पर नीति के बारे में अपनी सूचना को सुदृढ़ किए जाने तथा वैकल्पिक संकेतकों एवं डेटा स्रोतों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वैश्विक महामारी के उपरांत अल्पावधिक पूर्वानुमान भी केंद्रीय बैंकों के लिए एक चुनौती बन गया है क्योंकि आर्थिक स्थितियों में बड़े बदलाव सांख्यिकीय माडेलों में विच्छेद पैदा कर देते हैं तथा इन माडेलों में अंतर्निहित मान्यताओं में बदलाव ला देते हैं। उन्होंने भारत की विशालता और भौगोलिक विविधता को देखते हुये राष्ट्रीय संकेतकों को क्षेत्रीय आयाम दिये जाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

बैंकों, वितत्तीय संस्थाओं के लिए ऋण बहियों का दबाव परीक्षण संस्तुत : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर राव

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने कहा है कि यद्यपि आस्ति की गुणवत्ता वैश्विक महामारी के पिछले स्तरों से बढ़ गई है, तथापि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण बहियों की हानि अवशोषक सीमाओं की जांच करने के लिए आवश्यक रूप से उनका दबाव परीक्षण करना चाहिए तथा उनमें जहां कहीं भी आवश्यकता हो सुधार कर लेना चाहिए। ऋणदाताओं के लिए भी यह आवश्यक है कि वे इस बात का पता लगा लें कि बढ़ी हुई आस्ति गुणवत्ता बेहतर बुनियादी बातों के कारण है या फिर वह वैश्विक महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए प्रदान की गई विनियामक सहायता के कारण है। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही बैंकों के लिये अपेक्षित ऋणगत हानि के संबंध में लागू किए जाने हेतु एक विचार-विमर्श दस्तावेज़ जारी करेगा।

उपायों के कारण वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति घटकर 4% रह जानी चाहिए : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की जून में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में यह मत व्यक्त किया कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 23 की 4थी तिमाही में घटकर 6% रह जाने के बाद वित्त वर्ष 24 में 4% रह जानी चाहिए। उनका मानना है कि जून 22 में पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौतियों का उन पर सुदृढ़ प्रभाव हुआ होगा तथा उनसे सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति में 20 आधार अंकों की गिरावट आई होगी। वर्तमान परिस्थितियों में मुद्रास्फीति के इसप्रकार के प्रक्षेप-वक्र (trajectory) से उत्पादन की हानि न्यूनतम होगी। यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि 2022-23 और 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के औसतन 6-7% पर रह जाती है तो नवजात पुनरुत्थान के अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के अच्छे अवसर होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक रुपए को अस्थिरता के दौर से बचा रहा है : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने कहा है कि यद्यपि शीर्ष बैंक अमरीकी डालर के मुक़ाबले रुपए के लिए किसी विशिष्ट स्तर की तलाश में नहीं है तथापि वह घरेलू मुद्रा को अस्थिरता के दौर से बचा रहा है। पीएचडीसीसीआई द्वारा "भौगोलिक-राजनीतिक फैलाव/छलकन (spill overs) और भारतीय अर्थव्यवस्था" (Geopolitical Spill overs and Indian Economy) विषय पर आयोजित एक सत्र में बोलते हुये श्री पात्रा ने इस बात पर बल दिया कि हाल के समय में रुपए का अत्यल्प अवमूल्यन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के चालू खाते के घाटे में 2021-22 की 3री तिमाही में 2.6% के समक्ष 4थी तिमाही में 1.5% की गिरावट बाहरी अस्थिरता के समक्ष भारत के लिए शुभ संकेत है। भौगोलिक-राजनीतिक फैलाव/छलकन तथा आयात की मांग में उछाल के कारण लगे व्यापारिक घाटे के आघातों को भारत के विदेशी मुद्रा अर्जनों की आंतरिक शक्ति द्वारा न्यूनीकृत किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.2% रहा।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन निम्नानुसार रहे :

- मई 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति संतुलित हो कर 7.0% रही।
- अप्रैल 2022 में आठ मुख्य उद्योगों का संयोजित सूचकांक 8.5% की दर से बढ़ा।
- अप्रैल 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 7.1% की दर से बढ़ा।
- जुलाई 2021 से पीएमआई विनिर्माण विस्तारवादी क्षेत्र में रहा है तथा पीएमआई सेवा मई 2022 में 58.9 अंक बढ़ा।
- मई 2022 में तिजारती निर्यात और तिजारती आयात के मूल्य में वर्षानुवर्ष क्रमशः 20.6% और 62.8% की वृद्धि दर्ज हुई।
- मई 2022 के माल और सेवा कर राजस्व में 44% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई।
- मई 2022 के दौरान एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) लेनदेनों का मूल्य 10.4 लाख करोड़ रुपए रहा जिससे मासानुमास 5.9% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ का परिमाण 599 करोड़ रुपए रहा जिसमें मासानुमास 7.4% की वृद्धि दर्ज हुई।
- अप्रैल 2022 में उद्योग और सेवाओं को ऋण वृद्धि बढ़कर क्रमशः 8.1% और 11.1% हो गई।
- मार्च 2022 में निवल प्रत्यक्ष विदेशी (FDI) निवेश घटकर 2.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गए।
- जून 2022 में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-sec) का प्रतिफल 7.52% था।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री आलोक कुमार चौधरी	प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
श्री ए॰ मनिमेखलाई	प्राबन्ध निदेशक, यूनियन बैंक आफ इंडिया
श्री एस॰ सुब्रमण्यकुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आरएमएल बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 जून 2022 के दिन करोड़ रुपए	24 जून 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1 कुल प्रारक्षित निधियाँ	4647773	593323
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4145595	529216
1.2 सोना	320594	40926
1.3 विशेष आहरण अधिकार	142649	18210
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	38934	4970

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जुलाई 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	1.52
जीबीपी	1.1877
यूरो	-0.581
जापानी येन	-0.039
कनाडाई डालर	1.6600
आस्ट्रेलियाई डालर	0.85

मुद्रा	दरें
स्विस फ्रैंक	-0.195158
न्यूजीलैंड डालर	2.00
स्वीडिश क्रोन	0.145
सिंगापुर डालर	1.8345
हांगकांग डालर	0.36881
म्यामार रुपया	2.00

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

टोकनीकरण

टोकनीकरण से आशय है टोकन कहे जाने वाले किसी ऐसे वैकल्पिक कूट से कार्ड के वास्तविक विवरणों का प्रतिस्थापन, जिसे कार्ड के संयोजन के लिए विशिष्ट होना चाहिए, टोकन अनुरोधकर्ता (अर्थात वह संस्था/ कंपनी जो ग्राहक से किसी कार्ड के टोकनीकरण हेतु अनुरोध स्वीकार करती है तथा उसे एक तदनुरूपी टोकन जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क को प्रेषित कर देती है) और उपकरण (अभिज्ञात उपकरण कहा जाता है)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

टियर- 1 पूंजी अनुपात

टियर 1 पूंजी अनुपात किसी बैंक की मूल टियर 1 पूंजी का वह अनुपात होता है- जो उसकी कुल जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में उसकी इक्विटी पूंजी और प्रकटित प्रारक्षित निधियाँ होती हैं। यह किसी बैंक की वित्तीय शक्ति का एक ऐसा माप होती है जिसे बैंक विनियमन के संबंध में बासेल III करार के रूप में अपनाया गया है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	11 से 13 जुलाई तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों का वित्तीयन	20 से 22 जुलाई तक	
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान	21 से 23 जुलाई तक	
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	22 से 24 जुलाई तक	
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के आंतरिक लेखा-परीक्षक	25 से 26 जुलाई तक	
अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	26 से 27 जुलाई तक	
तुलनपत्र वाचन और अनुपात विश्लेषण	28 से 30 जुलाई तक	
निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन	1 से 3 अगस्त तक	

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी- संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इन्स्टीटूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थायी तौर पर निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षायें नवंबर/दिसंबर2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

स्वत: संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्णन मानदंड में संशोधन

डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में आचार-विचार में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए स्वत: संगामी ई-शिक्षण विधि के अधीन अन्तिम मूल्यांकन/परीक्षा के उत्तीर्णन अंकों को 70% से संशोधित करके 60% कर दिया गया है। यह संशोधन 1 मार्च 2022 को अथवा उसके बाद कराये गए पंजीकरणों के लिए प्रभावी होगा।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक का विमोचन किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने दिसंबर, 2021 तक अद्यतन की हुई ''बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक'' का विमोचन किया। यह सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों और बैंकिंग एवं वित्त के विषय-क्षेत्र के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये

विनियामक परिवर्तनों की एक ऐसी व्यापक सार-पुस्तिका है जिसमें पाठक को हितकर वाचन अनुभव दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरणों, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा लेखों का समावेश है। उक्त पुस्तक पेपरबैक के रूप में और एक उद्दीपक (kindle) संस्करण, दोनों ही रूपों में अमैजान पर उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (NISM) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.inको बैंकों से देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जुलाई-सितम्बर 2022 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "बैंकिंग उद्योग के लिए फिंटेक की चुनौतियाँ" (Fintech challenges for Banking Industry)।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि:

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

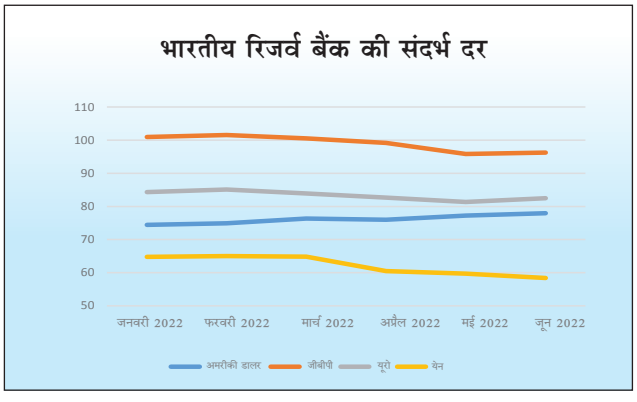

स्रोत: एफबीआईएल

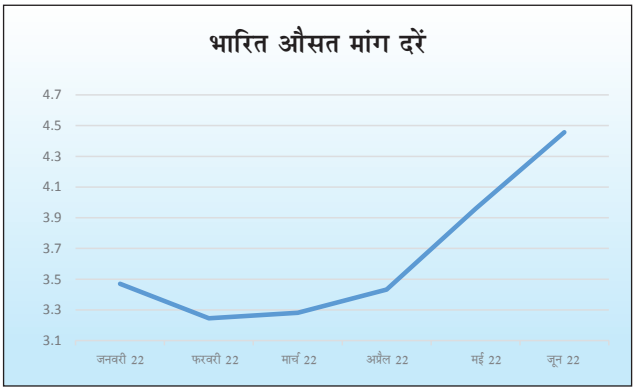

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

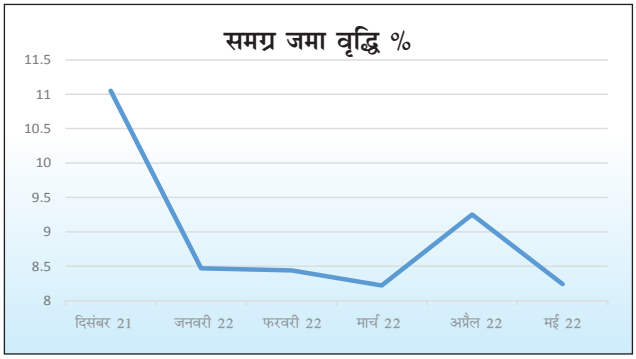

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2022

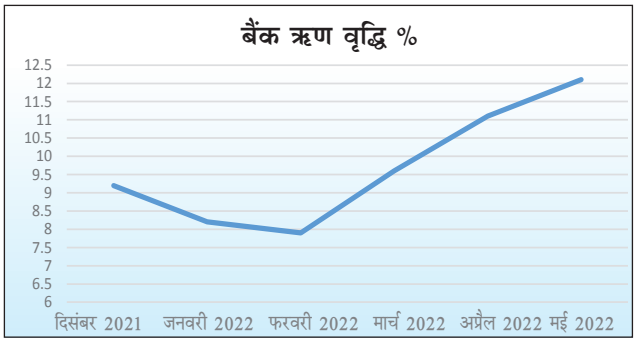

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

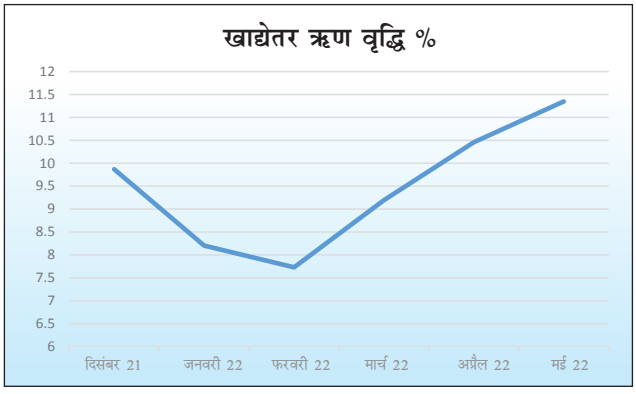

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2022

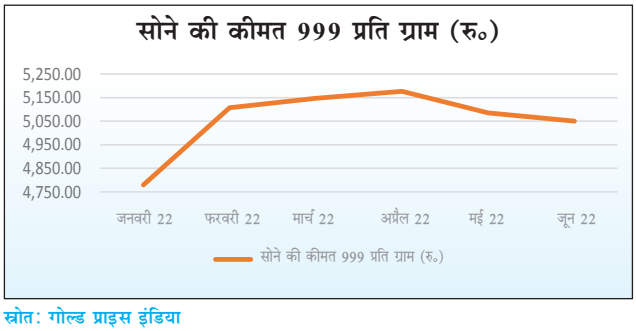

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

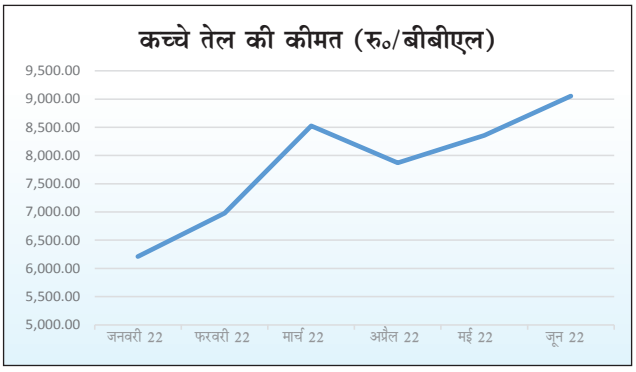

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

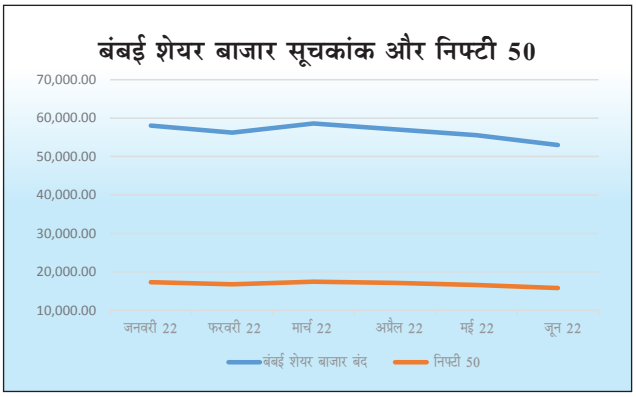

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in